

3315 R.H. Sale. 29,75,000 Pakur

3296



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : aaaa6bf589ff87bbaf20

Receipt Date : 15-Nov-2020 07:45:52 am

Receipt Amount : 119000/-

Amount In Words : One Lakh Nineteen Thousands Rupees Only

Token Number : 20200000099280

Office Name : SRO - Pakur

Document Type : Sale Deed

Payee Name : MAMUN RASHID ANSARI (Vendee)

GRN Number : 2002784846



-: For Office Use :-

शुल्क का भुगतान
कालीय स्ट. नं. 25
(शुल्क) 1000
की अनुषंगी 23
के अन्तर्गत 18/11/2020

A. 89250

L.R. 5

89,255

17/11/2020

17/11/2020

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Gehrat Neha

17-11-20

(3)

लेख्यकारी:- इशरत नेहा UID-2785 7104 7123 पति जियाउल अंसारी जाति मोमिन मुसलमान पेशा गृहस्थी निवासी तौतीपाड़ा, पाकुड़ थाना पाकुड़ नगर महकमा वो निबंधन कार्यालय तथा जिला पाकुड़ हाल मोकाम सरौनी बाजार थाना सरौनी बाजार महकमा निबंधन कार्यालय तथा जिला गोड्डा झारखण्ड भारतीय। Pan No-BAQPN8162H.

लेख्यधारी:- मामून रशीद अंसारी UID-6685 2316 3767 पिता मरहुम हारुन रशीद अंसारी जाति मोमिन मुसलमान पेशा नौकरी निवासी तीनपहाड़ थाना तीनपहाड़ महकमा वो निबंधन कार्यालय राजमहल जिला साहेबगंज झारखण्ड भारतीय। Pan No-AHHPA4755C.

लेख्यप्रकार :- बिक्रय केवाला (Sale Deed)

मुल्य मू :- 29,75,000/- (उन्तीस लाख पैंचहत्तर हजार रुपये मात्र)

सम्पत्ति:- थाना पाकुड़ 128 नं० मौजा पाकुड़ (नगर पालिका क्षेत्राधीन) तौ० 91 न खे० 1 न० प्लट 491 व 493 नं० यह दो दाग में मवाजी 8.594 डिसमिल (00-05-04 पॉच कट्टा चार धुर) लगान 30 पैसे झारखंड सरकार के तरफ से अंचल पदाधिकारी पाकुड़ में अदाय दिया जाता है। J.B.No-541, 330, H.No- 10987, 10986, Vol-81, Page -63, 62.

तफसील :- जिला पाकुड़ थाना पाकुड़ महकमा वो निबंधन कार्यालय पाकुड़ परगने अम्बाड के अधीन 128 न० मौजा पाकुड़ W.No-09 , H.No-0090000332000M0 स्थित।

खेसरा	चौहददी	श्रेणी	रकवा
491	उ० सानाउल शेख	धानी दोयम	0.413 डिसमिल
चार सौ	द० निज रास्ता 10'		00-00-05
इक्यानबे	पू० निज रास्ता 12'		पॉच धुर
	पं० मो० हसनत		
493	उ० सानाउल शेख	बाड़ी दोयम	8.181 डिसमिल
चार सौ	द० निज रास्ता 10'		00-05-01 से
तिरानबे	पू० निज रास्ता 12'		00-04-19
	पं० मो० हसनत		चार कट्टा उन्नीस धुर

उक्त दो दाग में कुल मवाजी 8.594 डिसमिल (00-05-04 पॉच कट्टा चार धुर) नक्शा संलग्न है, लाल रंग से दिखाया गया उक्त बिक्रीत सम्पत्ति है।

Gshrat Neha
17-11-20

(4)

विदित हो कि उक्त सम्पत्ति मैंने पाकुड़ निबंधन कार्यालय में सन 2013 साल को 3667 व 3668 नं० केवाला द्वारा खरीद कर अपना नाम पर खारिज दाखिल कराकर सालाना लगान अदाय देते हुए अंचल आफिस पाकुड़ द्वारा भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत आज तक दूसरे की बिना उजुर आपत्ति से निर्विवाद में भारहीन रूप से भोगवोती हूँ। अभी अन्य स्थान पर सम्पत्ति खरीदने हेतु रुपये की जरूरत होने पर उक्त मवाजी 8.594 डिसमिल (00-05-04 पाँच कट्टा चार धुर) सम्पत्ति का आज हम आपसे उक्त मूल्य का सारा रुपये लेकर उक्त सम्पत्ति आपके पास बेचा और आज ही से आपके दखल कब्जा में दे दिया। हम इकरार करते हैं कि उक्त सम्पत्ति में मेरा जो कुछ स्वत्वधिकार आदि था, वह सब कुछ हमसे रद्द वो रहित होकर आपका हुआ। आप मेरे तरह सारा स्वत्व में स्वत्ववान होकर दान बेची आदि के साथ आल औलाद लेकर तथा जमीनदारी सिरिस्ता मे प्रचलित नाम खारीज कराकर अपना नाम दर्ज पूर्वक अपने भावी वारीसान के साथ परम सुख में दखल भोग करते रहेंगे।

इसमें हम या हमारे भावी वारिसान का दावी-दावा नहीं रहा करने पर सभी जगह तथा न्यायालय में नामंजुर वो नाजायज होगा।

अपने तनमन के स्वस्थता मे यह विक्रय केवाला सम्पादन कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम मे आवे ईसवी 2020 साल तिथि 12 नवम्बर।

शपथ पत्र संख्या 962 श 963

दस्तावेज में वर्णित सभी बाते विक्रेता, क्रेता, पहचान कर्ता एवं गवाहों की जानकारी में पूर्णत सही एवं सत्य हैं, इसमें किसी भी त्रुटी अथवा फर्जी के लिए कानूनन तौर पर हम सभी जिम्मेवार हैं। प्रमाणित करता हूँ कि दस्तावेज में वर्णित सम्पत्ति या जमीन पूर्णतः हस्तांतरणीय हैं एवं वर्णित जमीन/सम्पत्ति का हस्तांतरण मेरे द्वारा इसके पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया है। पक्षकारों का पहचान पत्र अथवा आधार (U.I.D) नम्बर पूर्णत वैध/सही/सत्य/स्व अभिप्रमाणित हैं इसमें किसी भी त्रुटी अथवा फर्जी के लिए संबंधित कानूनन तौर पर जिम्मेवार होंगे।

उक्त सम्पत्ति सरकारी, बन्दोबस्ती, आदिवासी खाते, अविक्रयशील मौजा, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक इस्तेमाल की जमीन नहीं है एवं सभी प्रकार के विवादो से मुक्त है।

Gshrat Neha.

यह लेख्य पढ़कर लेख्यकारीणीं को सुनाया तथा समझा दिया मेरे द्वारा मुसाविदा किया गया।

गवाह:- 1. अ. पद्म अक्षरी
पिता - अ. अणुल लाल
2. श्री. आदिल रशीद अक्षरी
पिता - स्व. दाशुन रशीद
तीनपटाइ, साईकॉम
Rahman Computer Print
Bakur